


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

आदेश


रेखा सेन व्याख्याता राजनीति विज्ञान सावित्री राबाउमावि अजमेर द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र, गजट दिनांक 01.04.2019 भाग 07 की प्रति पेज सं. 1556 (नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों) के आधार पर उनके पूर्व नाम रेखा सेन के स्थान पर इनका नाम "रेखा गुर्जर" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतः भविष्य में रेखा सेन व्याख्याता राजनीति विज्ञान से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम रेखा गुर्जर से संबोधित/जारी किये जावे।


(हिमांशु गुप्ता) 14/01
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था-6/रावि/नाम परिवर्तन/2018 /135 दिनांक:- 15 /01/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 3 सहायक निदेशक वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्मिक रेखा सेन वरिष्ठता क्रमांक 7450 वरिष्ठता अवधि 2011-12 में उक्तानुसार संशोधन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- 4 सहायक निदेशक गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच को सूचनार्थ।
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान.....।
- 7 संबंधित कार्मिक.....।
- 8 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर